

सुरक्षा अलर्ट:

खुद की सुरक्षा के लिए बिजली उपकरणों से उचित दूरी बनाए रखें



दिल्ली में बड़े पैमाने पर निर्माण संबंधी गतिविधियां हो रही हैं। इनमें से कई आवास और अनाधिकृत निर्माण/विस्तार, कई कॉलोनिनों में खतरनाक ढंग से डिस्कॉम के ओवरहेड लो वोल्टेज (एलवी), हाई वोल्टेज (एचवी), एक्सट्रा हाई वोल्टेज (ईएचवी) लाइनों और बिजली के इंस्टॉलेशन के करीब आ गए हैं। यह केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की धारा 62 और 63 का सीधा उल्लंघन है। (सुरक्षा व बिजली आपूर्ति से संबंधित पैमानों) नियमावलियां, 2023 ("सीईए सेफ्टी रेगुलेशंस, 2023"), जिसे इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट 2003 की धारा 53 व 68 (5), तथा धारा 161 के साथ पढ़ा जाए, जिनमें समय-समय पर संशोधन होता रहा है।

इमारतों के विस्तार, ढांचे, प्रोजेक्शंस, बालकनी, छज्जा या बाउंड्री वॉल आदि के लिए यह आवश्यक है कि वे प्रावधानों के अनुसार, बिजली के इंस्टॉलेशन से न्यूनतम वर्टिकल व हॉरिजेंटल दूरी बनाए रखें।

लाइन / उपकरण	न्यूनतम उचित दूरी जहां लाइन किसी भवन/ढांचे/बालकनी आदि के ऊपर से गुजरती है	न्यूनतम समतलदूरी/हॉरिजेंटल क्लियरेंस जहां लाइन किसी बिल्डिंग/ढांचे/बालकनी आदि के निकट से गुजरती है
650 वोल्टस तक के वोल्टेज की लाइनें	उच्चतम पॉइंट से 2.5 मीटर	निकटतम पॉइंट से 1.2 मीटर
हाई वोल्टेज लाइन जो 650 वोल्ट से अधिक हो और जो 11000 वोल्ट तक या सहित हो	उच्चतम पॉइंट से 3.7 मीटर	निकटतम पॉइंट से 1.2 मीटर
हाई वोल्टेज लाइन जो 11000 वोल्ट से अधिक हो तथा 33000 वोल्ट तक व सहित हो	उच्चतम पॉइंट से 3.7 मीटर	निकटतम पॉइंट से 2 मीटर
एक्सट्रा हाई वोल्टेज लाइन 33 केंवी वोल्ट से ऊपर	3.7 मीटर (तथा 0.30 मीटर, हर अतिरिक्त 33000 वोल्ट या उसके भाग पर)	2 मीटर (तथा 0.30 मीटर, हर अतिरिक्त 33 केंवी या उसके भाग पर)

ये नियम आपकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, ताकि दुर्घटनाओं, प्राणघातक हादसे और बिजली आपूर्ति में बाधाओं को टाला जा सके।

बीएसईएस एक बार फिर ऐसे अनाधिकृत निर्माणों का स्वामित्व रखने वालों से अनुरोध करती है कि वे तुरंत अपने अवैध और अनाधिकृत निर्माणों को बिजली की लाइनों व उपकरणों के पास से हटा लें। उपरोक्त नियमावलियों का उल्लंघन करने वाले किसी भी प्रत्यक्ष या परोक्ष हानि (जीवन, संपत्ति, आदि से जुड़ी) के लिए व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार होंगे और निर्धारित कानूनों के तहत कार्रवाई किए जाने के हकदार होंगे।

दृढ़ पर रखी आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट

सूरज की शक्ति का इस्तेमाल करें, और अपना बिजली का बिल शून्य करें!*

सोलर अपनाने के लिए हमसे संपर्क करें:

☎ कॉल:	19122 (Ext 3)
✉ मिस्ड कॉल:	9871608800
✉ ईमेल:	netmetering.bypl@reliancegroupindia.com
🌐 वेबसाइट:	https://byplnetmtr.bsesdelhi.com/

*नियम और शर्तें लागू

1°C बढ़ाना

इससे बिजली की खपत में 6% तक कमी आती है

रियायती कूलिंग सुनिश्चित करने के लिए, अपने एसी के तापमान को 24°C पर सेट करें

इष्टतम सुकून पाएं

अधिकतम बचत **BSES**

BSES गर्मी से निपटने के लिए सर्वोत्तम सलाह

महत्वपूर्ण सलाह

बीवाईपीएल केवल सत्यापित व्हाट्सएप नंबर 8745999808 (ब्लू टिक) से ही संदेश भेजती है, और SMS संदेश BSESYD सेंडर ID के माध्यम से भेजे जाते हैं। कृपया किसी अन्य नंबर से प्राप्त व्हाट्सएप संदेशों पर न तो विश्वास करें और न ही उनका उत्तर दें। ध्यान दें - बीवाईपीएल आपके किसी भी सेवा अनुरोध को प्रोसेस करने के लिए कभी भी भुगतान के लिए नहीं कहती है। अज्ञात या अविश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त किसी भी पेमेंट लिंक पर क्लिक न करें। हमेशा केवल आधिकारिक माध्यमों के जरिए ही भुगतान करें - बीवाईपीएल वेबसाइट, बीवाईपीएल कनेक्ट मोबाइल ऐप, सत्यापित बीवाईपीएल व्हाट्सएप नंबर 8745999808, या अधिकृत भुगतान माध्यम जैसे सत्यापित पेमेंट वॉलेट्स, NEFT, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आदि।

फ़ीडबैक

अपने फीडबैक व सुझाव भेजें: कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस, बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: शक्ति किरण बिल्डिंग, कडकड़डूमा, दिल्ली-110032
सीआईएन: CIN:U40109DL2001PLC111525, फोन: 11-4124-7111/4124-9273, ईमेल: bypl.feedback@reliancegroupindia.com, वेबसाइट: www.bsesdelhi.com

मोबाइल ऐप, टोल फ्री और हेल्पलाइन नंबरों जैसे सुविधाजनक माध्यमों से बिजली गुल की शिकायत दर्ज कराएं



टॉल फ्री 24x7
19122

बिजली चोरी संबंधी
8588892156
बिजली गुल की शिकायत
8745999808

स्ट्रीटलाइट
41999808